न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस
अपील संख्या 110/2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/119)

**अनवान करणाराम बनाम प्रताप, वगैरह**

**अपील विरूद्ध निर्णय—** उपखण्ड अधिकारी रतनगढ जिला चूरू मुकदमा सं. 01/2025 दिनांक 14.05.2025

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं. 5 के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 07.01.2026 को कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री राजेश बैद ने दिनांक 13.01.2026 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी का जवाब पेश कर रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की कानूनी आपत्ति खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।<br>रेस्पोडेन्ट के संख्या 5 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 14.05.2025 के विरूद्व पेश की गई थी। उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा जो अनुतोष मांगा गया है वह अनुतोष दिनांक 04.09.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिया जा चुका है इस कारण उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह एडमिट किया है कि संशोधन आदेश दिनांक 04.09.2025 को हो चुका है, मगर रेस्पोडेंन्ट द्वारा उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.09.2025 को सैक्शन 152 सी.पी.सी. के तहत निरस्त हेतु प्रकरण पेश किया जा चुका है इसका अर्थ यह नही है कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 04.09.2025 निरस्त हो चुका है। आज तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2025 निरस्त नही हुआ है। मात्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र जैरकार होने से हायर कोर्ट अपील की प्रोसेडिंग स्टे नही कर सकते, स्पष्ट है कि जब हायर कोर्ट में अपील जैरकार है तो अब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रकरण में किसी भी स्तर पर आदेश पारित नही हो सकता जबकि जैरकार प्रकरण मे किसी भी स्तर पर आदेश पारित नही हो सकता, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र में हायर कोर्ट में इसी भूमि से सम्बन्धित अपील जैरकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई ही नही हो रही है, इस कारण उक्त अपील प्रकरण सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब बिना कानून का अवलोकन किए व प्रावधान का अवलोकन किए बिना पेश किया गया है जो खारिज किया जावे। अपीलान्ट उक्त अपील में अब क्या अनुतोष चाहते है, स्पष्ट नही है क्योकि चाहा गया अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया जा चुका है। अतः उक्त अपील चल ही नही सकती एवं सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे।<br>अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील किसी भी प्रकार से सारहीन नही हुई है। अपितु संधारण योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 में रिव्यू आदेश दिनांक 04.09.2025 से निरस्त हो चुका है, कतई गलत व झूठा कथन होने से अस्वीकार है। रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वास्तविकता यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 को संशोधित किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 04.09.2025 को स्वीकार हुआ। तत्पश्चात उक्त संशोधन आदेश दिनांक 04.09.2025 को निरस्त करने हेतु एक रिव्यू प्रार्थना पत्र सं. 267/16.09.2025 प्रस्तुत हुआ एव दर्ज कर वर्तमान में विचाराधीन है, जिसमे आगामी तारीख पेशी नियत है। उपरोक्त परिस्थितियो में जहा मूल अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 मे किये गये संशोधन को उसी न्यायालय में चुनौति दी जा चुकी है तथा संशोधन आदेश अतिम रूप से प्रभाव | रिकॉर्ड ...<br>94-95<br>23.02.26 |

लगातार.....

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में नही आया है। उक्त आदेश रिव्यू प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पश्चात ही अंतिम रूप से प्राप्त करेगा तब तक मूल आदेश दिनांक 14.05.2025 के विरूद्व की गई अपील संधारण योग्य है। तथा माननीय न्यायालय को भी रिव्यू प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक उपरोक्त अनुवानी अपील में कार्यवाही हेतु रोक देना चाहिए। अतः उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी पी सी निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त अनुवानी अपील रिव्यू के निर्णय तक सुनवाई स्थगित की जाने के आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 14.05.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। निर्णय दिनांक 14.05.2025 के पश्चात उपखण्ड अधिकारी रतनगढ में ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 वास्ते दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत हुआ। उपखण्ड अधिकारी रतनगढ द्वारा दिनांक 04.09.2025 को संशाधित निर्णय पारित किया जा चुका है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के अभिभाषक की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील सारहीन होने के कारण इसी आधार पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर